न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
119/2024

दायर दिनांक
22.03.2024

निर्णय दिनांक
19-11-2025

उनवान

1.गंगाराम पिता घीसा जाति गाडरी निवासी गाडरी मोहल्ला, जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

-- प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तंहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षी

उपस्थित:- 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्रवणकुमार सेन
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

- :प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कराये जाने बावत् :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकार्ड मे नाम संशोधित कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी अधिकार , स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात् ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आ.न.779 , 780 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात् मे प्रार्थी के पिता घीसा आत्मज धूला गाडरी का ½ हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। घीसा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकण देवा गंगा पिता घीसा गाडरी के नाम खोला गया। जो नामान्तकरण दर्ज किया गया वो सही दर्ज किया गया परन्तु उक्त नामान्तकरण मे प्रार्थी का नाम गंगाराम के गांगा अंकित कर दिया गया जब कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गंगाराम ही है। घीसा की विरासत के बाद की जमाबंदी मे खातेदार देवा गांगा के पिता का नाम बिना किसी आधार के धुला अंकित कर दिया गया जो कि रोटेशन जमाबंदी बनाते समय उक्त त्रुटि हुई है। जो कि विरासत के समय की जमाबंदी से स्पस्ट होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथन तहसील व जिला भीलवाड़ा के आ.न.779 रकबा 0.2150 हेक्टेयर और आ.न.780 रकबा 0.4046 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.6196 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम गांगा पिता धुला गाडरी के बजाय गंगाराम पिता घीसा गाडरी किये जांने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये जाकर सुनवायी की गयी प्रकरण मे तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/1692 दिनांक 14.07.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम किया ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आ.न.779 , 780 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम गांगा पिता धूला के बजाय गांगा उर्फ गंगाराम पिता घीसा गाडरी संशोधित दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा के आ.न.779 रकबा 0.2150 हेक्टेयर और आ.न.780 रकबा 0.4046 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.6196 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम गांगा पिता धुला गाडरी के बजाय गंगाराम पिता घीसा गाडरी संशोधित दर्ज कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन / परीक्षण किया दस्तावेजों अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2033-2036 ग्राम जित्याखेड़ी के खाता सं.16 मे किता 2 रकबा 2-09 भूमि घीसा पिता धूला 1/2 के नाम दर्ज होकर नामान्तकरण से घीसा की विरासत से देवा गांगा पिता घीसा के नाम दर्ज हुई परन्तु अगले रोटेशन सम्वत् 2035-2038 मे उक्त आराजीयात् को देवा गांगा पिता धूला के नाम दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार गांगा व गंगाराम को एक ही व्यक्ति होकर गांगा के बजाय गंगाराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

-:आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आ.न.779 , 780 किता 2 रकबा 0.6196 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम गांगा पिता धूला के बजाय गांगा उर्फ गंगाराम पिता घीसा गाडरी संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 12.11..2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अश्वन कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा